

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांक :- 4/वि0-109/2026-910

पटना-15, दिनांक- 07/09/2026

सेवा में,

महालेखाकार,
वीर चंद पटेल पथ, बिहार, पटना।

विषय -वित्तीय वर्ष 2026-27 में मांग संख्या-36-मुख्य शीर्ष-2215-जल पूर्ति तथा सफाई-उपमुख्य शीर्ष-01-जल पूर्ति-लघु शीर्ष-102-ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम-उप शीर्ष -0001-ग्रामीण जलापूर्ति योजना-विपत्र कोड-36-2215011020001-विषय शीर्ष -0001.28.02-व्यवसायिक एवं संविदा सेवायें के अन्तर्गत ₹1.50 करोड़ रुपये (एक करोड़ पचास लाख) मात्र की राशि की निकासी की स्वीकृति।

आदेश - स्वीकृत।

2. जल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा पूर्व से स्थापित 38 जिला जल जाँच प्रयोगशाला और 76 अवर प्रमंडलीय जल जाँच प्रयोगशाला के सुचारु संचालन एवं व्यवस्थापन हेतु स्वीकृत स्थायी व रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति होने तक आउटसोर्सिंग के आधार पर रसायनज्ञ, सहायक रसायनज्ञ एवं प्रयोगशाला सहायक तथा WQMS पर जल जाँच प्रतिवेदन अपलोड करने हेतु डाटा इंट्री ऑपरेटर की सेवा ली जा रही है। इनके मानदेय भुगतान हेतु तत्काल ₹1.50 करोड़ रुपये (एक करोड़ पचास लाख) मात्र की राशि बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन को उपलब्ध करायी जा रही है।

3. इस योजना पर होने वाला व्यय योजना का मांग संख्या-36-मुख्य शीर्ष-2215-जल पूर्ति तथा सफाई- उपमुख्य शीर्ष-01-जल पूर्ति-लघु शीर्ष-102-ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम-उप शीर्ष -0001-ग्रामीण जलापूर्ति योजना-विपत्र कोड-36-2215011020001-विषय शीर्ष - 0001.28.02-व्यवसायिक एवं संविदा सेवायें के अन्तर्गत भारितव्य होगा।

4. योजना से संबंधित राशि की निकासी विभागीय विभिन्न स्वीकृत्यादेशों तथा आवंटन आदेश संख्या— -208 (आ.) दिनांक 07/9/26 के आलोक में की जायेगी।

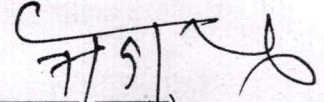
5. इस राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्र संख्या - 5537, दिनांक - 24-06-2015 में निहित प्रावधानों के तहत कार्यपालक अभियंता (मो0-II) -सह- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पटना द्वारा की जायेगी, यह राशि CFMS के माध्यम से निकासी कर सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, पटना स्थित बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के पी0 एल0 खाता संख्या -PNB PLA 006, विपत्र कोड -008448-00-120-0041 में अंतरण किया जायेगा।

6. विषयगत राशि की निकासी की स्वीकृति वित्त विभाग के परिपत्र संख्या - 2561/वि0(2) दिनांक - 17-04-1998 एवं 314, दिनांक-01.04.2026 का अनुसरण करते हुए प्रदान की गई है।

7. इस पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

8. यह राशि बजट के अधीन है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से



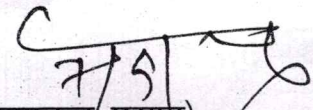
(नित्यानन्द प्रसाद)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव
(मुख्यालय)

ज्ञापांक- 4/वि0-109/2026- 910

पटना -15 ,दिनांक 07/09/2026

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड,
पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(नित्यानन्द प्रसाद)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव
(मुख्यालय)

ज्ञापांक- 4/वि0-109/2026- 910

पटना -15 ,दिनांक 07/09/2026

2. वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार/जिला पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अभियन्ता प्रमुख -सह- विशेष सचिव(मु0/कार्य
प्रबंधन)/मुख्य अभियन्ता (उत्तरी बिहार/दक्षिणी बिहार/अनुश्रवण)/मुख्य अभियन्ता
(रूपांकण)/विशेष पदाधिकारी/संयुक्त सचिव (प्र0को0)/अधीक्षण अभियन्ता (मो0)/उप
निदेशक (अन्वे0)/उप निदेशक (मू0)/बजट पदाधिकारी/कार्यपालक अभियन्ता (मो0-I)/
कार्यपालक अभियन्ता (मो0-II)-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/लेखा शाखा को
अतिरिक्त दो प्रतियों सहित/आई0 टी0 मैनेजर (वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु)/प्रशाखा
पदाधिकारी -10/प्रशाखा पदाधिकारी-04, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(नित्यानन्द प्रसाद)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव
(मुख्यालय)